

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257] दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 3, 2016/अग्रहायण 12, 1938 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 255
No. 257] DELHI, SATURDAY, DECEMBER 3, 2016/AGRAHAYANA 12, 1938 [N.C.T.D. No. 255

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2016

फा.सं.61/जेजेबी-II/कम्प्लेंट/डीडी(सीपीयू)/डीडब्ल्यूसीडी/2013-14/28259-75.—किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 3 के अन्तर्गत उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, श्री मो. परवेज, निवासी म.नं. बी-24/4, लेन न. 4, ओखला विहार, नई दिल्ली को सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में किशोर न्याय बोर्ड— II, प्रयास अम्बेडकर स्टेडियम के सामने, दिल्ली गेट, दिल्ली में रिक्त पद पर शेष कार्यकाल के लिए जो कि अधिसूचना की तारीख से 02.02.2017 तक होगी, के लिए नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,
सोम नायडु, अतिरिक्त निदेशक

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd December, 2016

F. No. 61/JJB-II/Complaint/DD(CPU)/DWCD/2013-14/28259-75 .— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), the Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi is pleased to appoint Sh. Mohd. Pervez, R/o H. No. B-24/4, Lane No. 4, Okhla Vihar, New Delhi as Member Social Worker in Juvenile Justice Board-II, Opposite Ambedkar Stadium, Delhi Gate, Delhi against the vacant post for the remaining period i.e. from the date of notification till 02.02.2017.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi.

SOM NAIDU, Addl. Director

5592 DG/2016